भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 313

दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

बाल संरक्षण और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना

313. श्री के. सुधाकरन:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2026 में सूचित गुमशुदा बच्चों के वास्तविक समय के आंकड़ों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल (ट्रैकचाइल्ड और खोया-पाया सहित) तथा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के एकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने किन्हीं ऐसे विशिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहचान की है जो हाल ही के न्यायिक निर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारियों को नियुक्त/कार्यशील करने में विफल रहे हैं जिसके कारण राष्ट्रीय डाटाबेस को अद्यतन करने में विलंब हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही हमें वर्ष 2026 के प्रारंभ में चलाए गए विशेष अभियानों के दौरान बचाए गए बच्चों के लिए उक्त मिशन के अंतर्गत बनाई गई ''व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं'' और किए गए पुनर्वास उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार आंकड़े प्रदान करने में देरी की स्थिति, जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में आलोचना की गई है, को रोकने के लिए बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) तथा किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) के लिए एक अनिवार्य ''समयबद्ध अपलोड'' प्रोटोकॉल पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

'बाल संरक्षण और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना' विषय पर श्री के. सुधाकरन द्वारा पूछे गए दिनांक 13.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 313 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): मिशन वात्सल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) की सहायता करना है। इस योजना का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों, जिनमें लापता और असुरक्षित बच्चे भी शामिल हैं, की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श और ताल मेल से एकीकृत समरूप मिशन वात्सल्य पोर्टल तैयार किया है। लापता/पाए गए बच्चों के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और लापता/देखे गए बच्चों के लिए खोया-पाया एप्लीकेशन को इस समरूप मिशन वात्सल्य पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल विभिन्न हितधारकों जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण इत्यादि के सहयोग और भागीदारी से कार्यान्वित किया जाता है। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों सहित सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों एवं अन्य हितधारकों को ट्रैक चाइल्ड पोर्टल के कार्यान्वयन के बारे में दिशा-निर्देश (एडवाइजरी) जारी किए गए हैं। यह गृह मंत्रालय के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ भी एकीकृत है, जिसमें लापता बच्चों के बारे में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को ट्रैक चाइल्ड पोर्टल के आंकड़ों से मिलान करने में परस्पर सहूलियत रहती है और संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस द्वारा पता लगाया जाना और गुमशुदा बच्चों का मिलान किया जाना सरल होता है। इसके अलावा, खोया-पाया मॉड्यूल के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी भी लापता या देखे गए बच्चों के बारे में सूचना दे सकता है।

(ख): इस मंत्रालय ने सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को लापता बच्चों के लिए राज्य और जिला स्तर पर पदनामित नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और इन नोडल अधिकारियों का ब्यौरा मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

(ग): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के तहत, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना (आईसीपी) तैयार करना अनिवार्य है। आईसीपी में बच्चे की जरूरतों का

आकलन और परिवार आधारित देखरेख, प्रायोजन, शिक्षा, परामर्श, स्वास्थ्य देखरेख, कौशल विकास और अन्य सहायक सेवाओं जैसे उपयुक्त पुनर्वास उपाय शामिल हैं। विशेष अभियानों के दौरान बचाए गए बच्चों को बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाता है, जो प्रत्येक मामले का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करती हैं और जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार उचित पुनर्वास योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं।

(घ): मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन वात्सल्य पोर्टल पर संबंधित पदाधिकारियों, जिनमें बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी) और किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) शामिल हैं, द्वारा समय पर सूचना दर्ज करने और उसे अद्यतन करने के लिए दिशानिर्देश और एडवाइजरी जारी की है। डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने और तत्समय (रियल टाईम) डेटा रिपोर्टिंग में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का समय पर पता लगाना और उनका पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।
